

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला

भिण्ड मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 121/2007

संस्थापित दिनांक 15.03.2007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—

गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

### बनाम

1. मदन पुत्र पूरन सिंह धानुक उम्र—26साल
  2. सिरनाम पुत्र परमोले धानुक उम्र—40साल
  3. अनिल पुत्र सिरनाम धानुक उम्र—24साल
- समस्त व्यवसाय मजदूरी निवासीगण तोड़े वाली माता गोहद, पुलिस थाना गोहदचौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 10/11/14 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 504, 323, 324/34 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 19-02-07 को 14:30 बजे स्थान माता का पुरा कस्बा गोहद में यह जानते हुये कि फरियादी हरीशंकर प्रकोपित होकर लोक शांति भंग कर सकता है के आशय से अश्लील शब्द उच्चारित कर अपमान कारित किया व सामान्य आशय के अग्रारण में एकसाथ मिलकर हरीशंकर, महेन्द्र, कल्याण की लाठियों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की व सामान्य आशय के अग्रशरण में हरीशंकर की लाठी नुकीली से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपीगण का फरियादी एवं आहत महेन्द्र सिंह व कल्याण से आपसी राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण को फरियादी महेन्द्र सिंह व कल्याण की ओर से आरोपित आरोपों में दोषमुक्त किया गया है शेष आहत हरीशंकर की ओर से आरोपीगण पर विचारण किया जा रहा है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19-02-07 को फरियादी ने पुलिस थाना गोहद चौराहा पर इस आशय की

जुवानी रिपोर्ट की कि आज दाई बजे के करीब सरनाम व पूरन की बकरी सरसों के खेत में चर रही थी कल्याण ने पूरन से बकरियों चरने के बारे में कहा तो पूरन ने कहा कि हमारी तो बकरियाँ ऐसे ही चरेगी तथा उसकी पत्नि व कल्याण की पत्नि से पूरन व सरनाम की पत्नियाँ लड़ गई । मौके पर महेन्द्र व कल्याण ने बीच बचाव कराया। तो मदन ने उसको लाठी मारी जो सिर में लगी तथा सरनाम ने एक लाठी मारी जो बाये पैर में लगी। महेन्द्र व कल्याण ने उसे बचाया तो मदन, अनिल व सरनाम ने उनको भी लाठियों से मारा था ।

4. उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना गोहद में अदम चैक क्रमांक 11/07 पर अपराध दर्ज किया गया। मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क028/07 पर दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान आहत हरीशंकर, महेन्द्र, व कल्याण का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाकर साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0की धारा 504, 324, 323/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपीगण को सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।

6. प्रकरण में फरियादी व आहत महेन्द्र सिंह व कल्याण का आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है राजीनामा होने के कारण आरोपीगण को आहत महेन्द्र सिंह व कल्याण के संबंध में भा.द.वि0 की धारा 504, 323/34, 324/34 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया। जबकि आहत हरीशंकर की अपराध के संबंध में आरोपीगण पर विचारण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में आरोपीगण को द0प्र0स0 की धारा 313 के तहत परीक्षा प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर आरोपी ने अपने बचाव में बचाव साक्ष्य देते हुये यह व्यक्त किया है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

8. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपीगण ने हरीशंकर को प्रकोपित कर लोकशांति भंग करने के आशय से अश्लील शब्द उच्चारित कर अपमानित किया था?

2. क्या आरोपीगण ने आहत हरीशंकर को लाठी/डंडो से मार-पीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की है?
3. क्या आरोपीगण ने आहत हरीशंकर को किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की है?

### सकारण निष्कर्ष

9. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में हरीशंकर आ0सा01, गुडडीबाई आ0सा02, पच्चोबाई आ0सा03, कल्याण आ0सा04, डॉ0दिनेश खत्री आ0सा05, आर0के0शर्मा आ0सा06, महेन्द्र आ0सा07 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

10. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु सभी विचारणीय बिन्दुओं की विवेचना एक साथ की जा रही है। जिसके संबंध में हरीशंकर आ0सा01 का कहना है कि दिन के दो दाई बजे का समय था। घटना के समय खेत में सरनाम व पूरन की बकरियाँ चर रही थी। उस समय खेत में सरसों की फसल खड़ी थी। कल्याण ने कहा कि खेत में बकरियाँ चर रही हैं पूरन बोला ऐसे ही चरेगी सरनाम की पत्नि व पूरन की पत्नि मौके पर थी। उन्होंने गुडडीबाई को खेत में पटक लिया और झगडा होने लगा तथा उसकी पत्नि की मारपीट करने लगी उसके बाद वह बचाने गया तो मदन ने उसके सिर में लाठी मारी सरनाम ने उसके बाये पैर में लाठी मारी, कल्याण व महेन्द्र ने आकर उसे बचाया था तो सरनाम, अनिल, मदन ने उन्हें भी लाठी मारी थी। घटना की रिपोर्ट उसने की थी जो प्र0पी01 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था महेन्द्र व कल्याण का भी मेडीकल हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे हसियाँ, कुल्हाड़ी तथा किसी धारदार वस्तु से चोट नहीं पहुंचाई थी सिर्फ लाठियों से उसे चोट पहुंचाई थी। शेष साक्षी के कथनों में कोई सारगर्वित भिन्नता नहीं पाई गई साक्षी के कथनों से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन होता है।

11. गुडडीबाई आ0सा02 का कहना है कि दो दाई बजे की बात है पूरन की बकरियाँ कल्याण के खेत में आ गई थी। कल्याण ने बकरियाँ रोकी तो पूरन बोला कि हमारी तो बकरियाँ ऐसे ही चरेगी। इस पर पूरन की घरवाली ओर उससे आपस में विवाद होने लगा तो मदन, सरनाम, अनिल आ गये जिन्होंने हरीशंकर को लाठी मारी थी। कल्याण महेन्द्र ने भी बीच बचाव कराया था। साक्षी के कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई सारगर्वित भिन्नता नहीं पाई गई। साक्षी के कथनों से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन होता है।

12. पच्चोबाई आ0सा03 का कहना है कि घटना दिन के 3,4 बजे की थी सिरनाम की बकरियाँ खेत में आ गई थी। कल्याण ने पूरन से कहा कि बकरियाँ क्यों छोड़ दी है तो वह कहने लगा कि हमारी तो ऐसे ही चरेगी। इसी बात पर सिरनाम, मदन, अनिल आगये और हरीशंकर को लाठी मारी थी जो सिर व पैर में लगी थी बीच बचाव करने गुडडीबाई, कल्याण, महेन्द्र आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया था तब मदन ने हरीशंकर के लाठी मारी जो सिर व पैर में लगी। सिरनाम ने भी हरीशंकर को पैर व पीठ में मारा था। महेन्द्र, कल्याण ने बीच बचाव कराया था तो उनको भी मारा था। साक्षी के कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई सारगर्भित भिन्नता नहीं पाई गई।

13. कल्याण आ0सा04 का कहना है कि फागुन माह के दिन के दो दाई बजे की बात है उसके खेत में पूरन की बकरियाँ चर रही थी जब उसने बकरियाँ चराने को रोका तो पूरन ने कहा कि हमारी तो ऐसे ही चरेगी फिर खेत में औरतों-औरतों में झगडा होने लगा फिर बाद में सिरनाम, अनिल, मदन लाठियाँ लेकर आ गये सिरनाम ने लाठी मारी जो हरीशंकर के सिर व पेर में लगी मदन ने बीच बचाव कराया था। इस साक्षी के कथनों में किसी प्रकार की कोई सारगर्भित भिन्नता नहीं पाई गई। परीक्षण प्रतिपरीक्षण के दौरान आई साक्ष्य से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन होता है।

14. डॉ0दिनेश खत्री आ0सा05 का कहना है कि दिनांक 19/2/07 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत हरीशंकर का चिकित्सीय परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान एक कटा हुआ घाव डेढ़ इंच बाई 1/4 इंच बाई 1/4 इंच बांयी तरफ सिर में पाया था। दूसरी चोट गूम जो कि लालिमा लिये हुये था 04बाई02 इंच का बीच के एक तिहाई हिस्से में पिडली के पीछे तरफ बांयी ओर था तथा तीसरा गूम 02बाई01 इंच का दाहिनी तरफ कंधे में पीछे वाले हिस्से में था। उक्त चोटों की उसने रिपोर्ट तैयार की थी जो प्र0पी05 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों से आहत हरीशंकर को आई चोटों का समर्थन होता है।

15. आर0के0शर्मा आ0सा06 का कहना है कि दिनांक 08/03/07 को पुलिस थाना गोहद चौराहा पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था उसी दिनांक को अप0क025/07 धारा323,324,504/34, की विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर पहुंचकर फरियादी के समक्ष नक्शा मौका बनाया था जो प्र0पी02 का है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी संतोष, कल्याण, पच्चोबाई, गुडडीबाई, महेन्द्र, हरीशंकर के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी अनिल, मदन, सिरनाम, को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा 06

लगायत 08 का तैयार किया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के द्वारा अनुसंधान की कार्यवाही की गई। परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी के कथनों में इस प्रकार की कोई सारगर्भित भिन्नता नहीं पाई गई जो साक्षी के द्वारा किये गये अनुसंधान को प्रदूषित करती हो। लेकिन इस साक्षी के कथनों से किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

16. महेन्द्र सिंह आ0सा07 यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होकर आहत साक्षी है साक्षी ने झगड़े के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया है।

17. प्रकरण में घटना के आहत साक्षी हरीशंकर आ0सा01, घटना की चक्षुदर्शी साक्षी गुडडीबाई आ0सा02, पच्चोबाई आ0सा03, कल्याण आ0सा04, ने न्यायालीन अभिलेख पर इस आशय का कोई कथन नहीं दिया है कि आरोपीगण ने हरीशंकर को प्रकोपित करने के आशय से कोई अश्लील शब्द अथवा अपमानित कारित किया हो। इस आशय की अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। अतः आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 504, के आरोपित आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

18. प्रकरण में आहत हरीशंकर, आ0सा01, गुडडीबाई आ0सा02, पच्चोबाई आ0सा03, कल्याण आ0सा04, ने न्यायालीन अभिलेख पर लाठियों से मारपीट कर उपहति कारित किये जाने का कथन दिया है हरीशंकर आ0सा01, से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उसने यह कहा है कि आरोपीगण ने उसे हासियों, कुल्हाड़ी अथवा किसी धारदार वस्तु से कोई चोट नहीं पहुंचाई। इसके विपरीत डॉ0दिनेश खत्री आ0सा05 ने अपनी मेडीकल रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि हरीशंकर के सिर में एक कटा हुआ घाव पाया था जबकि आहत हरीशंकर ने किसी धारदार हथियार से चोट होने का उल्लेख नहीं किया है। आहत हरीशंकर के सिर में जो चोट दर्शाई गई है वह हरीशंकर ने अपने न्यायालीन कथन में लाठी से आने का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 324 के आरोपित आरोपों की भी पुष्टि नहीं होती है। अतः आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. प्रकरण में आहत हरीशंकर आ0सा01, एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों ने आहत हरीशंकर को लाठी से चोट आने का समर्थन किया है आहत को आई चोटों का समर्थन मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी05 से भी होता है। अतः आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा [323/34](#) के आरोपित आरोप में सिद्ध दोष पाते हुये दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

20. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण को सुना गया आरोपीगण के अधिवक्ता श्री आर०पी०गुर्जर का कहना है कि आरोपीगण मजदूर होकर ग्रामीण व्यक्ति है जिनमें से पशु चराने पर से विवाद हो गया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर छोड़ा जावे।

21. अभियोजन अधिकारी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आरोपीगण के द्वारा लाठी/डंडो से मारपीट कर उपहति कारित की है। अतः आरोपीगण कठोर दंड के पात्र है।

22. प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि आरोपीगण किसान व्यक्ति है जिनमें खेतों में बकरियाँ चराने पर अक्समात ही विवाद हो गया है। आरोपीगण के पूर्व से कोई रंजिश नहीं रही है। भाव-भावेष में आकर यह झगडा हुआ है। सह अहातों द्वारा प्रकरण में राजीनामा भी किया जा चुका है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि आहत हरीशंकर को कोई गंभीर चोट नहीं है। आहत हरीशंकर को सामान्य प्रकृति की चोट है इसलिये आरोपीगण को कठोर दंड से दंडित न करे अर्थदंड से दंडित कर न्याय के उद्देश्यों कीपेर्ति की जा सकती है। अतः आरोपीगण को भा०द०वि०की धारा323/34 में न्यायालय उठने तक के कारावास व 700-700/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 10-10 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

23. प्रकरण में आरोपीगण द्वारा गुजारी गई न्यायिक अभिरक्षा की अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाये इस संबंध में धारा 428 द०प्र०स०के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जाये।

24. प्रकरण मे निराकरण हेतु मुद्देमाल नहीं है।

25. निर्णय की नकल आरोपीगण अधिवक्ता को निशुल्क प्रदान की जाये।

26. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील/याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपी को आहूत करता है तो इस संबंध में आरोपीगण की ओर से धारा 437ए के प्रावधान के तहत 10-10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

हस्ता०सही

जे०एम०एफ०सी०गोहद

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता०सही

जे०एम०एफ०सी०गोहद

